अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 56/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा० दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कु० यादव वो अंचल निरीक्षक श्री नागेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा डुमरिया थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/62 दाग नं0 32 रकवा 00-03-00 किस्म परती कदीम श्री कदरु हरिजन पिता कैलु हरिजन ... साकिन.......................के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री कदरु हरिजन को दिनांक...................... समय .... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

21/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

29.7.16

अभिलेख उपस्थापित।

कदरु हरिजन पे० कैतु हरिजन के पोता श्री राजकुमार रविदास उपस्थित। इन्होंने अनुमंडल पदा० के Rent fixation वाद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। यह भी बताया गया कि इनके दादा कदरु हरिजन को बन्दोबस्ती में प्राप्त

sandha

(2)

जमीन को उनके चारों पुत्रों द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया गया था परन्तु उनके हिस्सा पिता जी के हिस्से में प्राप्त जमीन को छोड़कर शेष भूमि उनके चाचा के द्वारा बेच दिया गया है। हल्का कर्मचारी जमीन बिक्री की गई जमीन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन अगली तिथि के पूर्व दें। अभिलेख दिनांक 4.8.16 को रखें।

ह० [illegible]

3 4/8/16	अभिलेख उपस्थापित। [illegible] हसन पिता [illegible] हसन की ओर से अन्य कोई व्यक्ति अनुपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 11/8/16 को उपस्थापित करें। ह० 4/8/16 अ० अ०
4	अभिलेख उपस्थापित। राजकुमार सदाय उपस्थित। दस्तावेज समर्पित। अभिलेख दिनांक 27/8/16 को रखें। ह० 11/8/16 अ० अ०
4/6/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। ह० 4/6/19 अँचल अधिकारी, मसरगामा।
19/6/2020	अभिलेख उपस्थापित। पुनः नोटिस निर्गत करें। ह० [illegible] अँचल अधिकारी, मसरगामा।
[illegible] 2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अं० अ० ह० [illegible]

(दाहिना हाशिया:) राजकुमार सदाय [illegible]

राजकुमार सदाय

24.06 19.08.2020

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। आवेदक के द्वारा लिखित रूप में दिया गया है कि मौजा - बसुआ खाता नं० - 32/15 के अंदर 03 कट्ठा जमीन कद्दरू हरिजन पिता - कैतकू हरिजन ग्राम - महागामा को अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय के बंदोवस्ती वाद सं० - 228/1965-66 से प्राप्त हुआ है एवं इसी आधार पर कद्दरू हरिजन का नाम पंजी-II में दर्ज किया गया है। आवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। तत्संबंधी प्रतिवेदन राजस्व उपनिरीक्षक से अंचल निरीक्षक के माध्यम से देने हेतु मांग करें। अभिलेख दिनांक को रखें।

19/8/2020

अंचल अधिकारी,
महागामा।

13.03.2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, का ~~अव~~ अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनो उपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा - बसुआ, थाना नं० - 692 के गैरमजरूआ खाता सं० - 24/62 के अंदर दाग नं० - 32 का अंश रकबा 00-03-00 धूर किस्म - परती - कदीम अंचल अधिकारी, महागामा के सेटलमेंट केश नं० - 228/1965-66 के माध्यम से कद्दरू हरिजन पिता - कैतकू हरिजन को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। स्थल जाँच के क्रम में वर्तमान में पाया कि कद्दरू हरिजन पिता - कैतकू हरिजन की मृत्यु हो गई है। इनको चार पुत्र क्रमशः सीताराम रविदास, नारायण रविदास, प्रसादी

Scanned with CamScanner

रविदास एवं रामदेव रविदास है। सीताराम रविदास, नारायण रविदास, प्रसादी रविदास की मृत्यु हो चुकी है और इनलोगों के द्वारा जमीन का बिक्री कर दिया गया है। उक्त भू-खंड के अंदर सिर्फ एक चौथाई हिस्से यानी 15 धूर भूमि पर रामदेव रविदास ~~पिता~~ पिता-कद्दरु रविदास का मकान के रूप में दखल कब्जा है एवं सपरिवार निवास कर रहा है।

उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं०-228/1965-66 से प्राप्त भूमि मौजा-बसुआ थाना नं०-692 गैरमजरुआ खाता सं०-24 के अंदर दाग नं०-32, अंश रकबा 00-03-00 धूर भूमि जो कद्दरु हरिजन के नाम से है। वर्तमान में कद्दरु हरिजन के वंशज श्री रामदेव रविदास के पास मात्र 15 धूर भूमि ही दखल कब्जे में है, शेष भूमि 00-02-05 धूर बंदोवस्त दार के कब्जे में नहीं है।

अत: कद्दरु हरिजन के वंशज रामदेव रविदास के दखल कब्जे की भूमि 15 धूर को नियमित की जाती है एवं शेष भूमि 00-02-05 धूर भूमि को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख संपुष्टि हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजें।

13/5/[illegible]

अंचल अधिकारी,
महागामा।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी, महागामा।

विषय :– अवैध संदेहास्पद वाद संख्या 56/2016–17 कदरू रविदास, पिता–कटकु हरिजन, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या 56/2016–17 कदरू रविदास, पिता–कटकु रविदास, का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24/62 के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकबा 00–03–00 धूर किस्म– परती–कदीम अंचल अधिकारी, महागामा के सटेलमेंट केश नं0–228/1965–66 के माध्यम से कदरू रविदास पिता–कटकु रविदास को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। स्थल जांच के कम में वर्तमान में पाया कि कदरू रविदास पिता–कटकु हरिजन की मृत्यु हो गई है। इनको चार पुत्र कमशः सीताराम रविदास, नारायण रविदास, प्रसादी रविदास एवं रामदेव रविदास है। सीताराम रविदास, नारायण रविदास, प्रसादी रविदास की मृत्यु हो चुकी है और इनलोगों के द्वारा जमीन का बिकी कर दिया गया है। उक्त भू–खंड के अंदर सिर्फ एक चौथाई हिस्से यानी 15 धूर भूमि पर रामदेव रविदास पिता–कदरू रविदास का मकान के रूप में दखल कब्जा है एवं सपरिवार निवास कर रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2021.09.22 23:40:08 -07:00
Location: 192.168.8.108

F:PK/317

Scanned with CamScanner